आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–66/2017–18

अंचल अधिकारी, खगड़िया.....वादी

बनाम्

सच्चिदानन्द दास वगैरह.....प्रतिवादी

आदेश

22/7/21

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–571 दिनांक–20.02.17 एवं उसके साथ संलग्न जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 21/16 के आदेश फलक एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आलोक में संधारित किया गया है। प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न है :–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
संसारपुर	123	154	0–18–4
	124	2	25–11–10
	126	45	0–9–14

आवेदक अंचल अधिकारी, खगड़िया का कथन है कि उपरोक्त भूमि की जमाबंदी 134 एवं 170 चल रही है। चूंकि इसमें निहित उपर्युक्त विवरण की भूमि गैरमजरूआ खास है इसलिए अंचल अधिकारी ने इस पर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु अभिलेख इस न्यायालय को प्रेषित किया है।

प्रस्तुत वाद में विपक्षीगण अपना आपत्ति पत्र दाखिल किये है कि उनके पूर्वज सच्चिदानन्द दास ने राम प्रकाश दास जिनकी जमाबंदी चलती थी के संयुक्त अवस्था में खेसरा 45 एवं 54 की भूमि निबंधित केवाला दिनांक–04.11.1931 के द्वारा काशी साह एवं गेना साह से क्रय किया। सच्चिदानन्द दास ने खेसरा 2 जो गैरमजरूआ खाता की भूमि भूतपूर्व जमींदार द्वारा बन्दोवस्ती से प्राप्त किया। इस प्रकार सच्चिदानन्द दास भूमि के स्वामित्व एवं दखलकार हुए है। विपक्षी ने अपने आपत्ति पत्र के कंडिका–3 में सच्चिदानन्द दास का वंशावली वर्णित करते हुए कथन किये है कि सच्चिदानन्द दास के पिता राम प्रसाद दास एवं चाचा जगदीश चन्द्र प्रसाद के परिवार के बीच वर्ष 1953 में संयुक्त परिवार के साथ बंटवारा हुआ। बंटवारा के आधार पर अन्य खेसरा की भूमि के साथ–साथ खेसरा 54, 2 एवं 45 की भूमि के लिए अपने–अपने हिस्से के अनुरूप जमाबंदी सं0 134 सच्चिदानन्द दास के साथ गठित हुआ। जिसमें सच्चिदानन्द एवं उनके भाई राजेन्द्र प्रसाद दास का संयुक्त स्वामित्व एवं दखल चला आ रहा

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	गइ बारे ... तारीख ...
1	2	3

है। इसी प्रकार जगदीश चन्द्र दास के नाम से जमाबंदी सं0–170 गठित हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि जमाबंदी नं0 134 एवं 170 पुरानी जमाबंदी है। विपक्षी ने यह भी कथन किया है कि बिहार सरकार के संकल्प 925 दिनांक–11.11.14 के द्वारा अधिसूचित किया गया है कि अगर 1.1.46 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा सादा हुकुमनामा भी निर्गत किया गया है और रैयत के नाम से जमाबंदी गठित है तो जमाबंदी रैयत को रैयती अधिकार प्राप्त है। विपक्षी का आगे यह भी कथन है कि जमाबंदी सं0–170, 134 में खेसरा सं0–190 एवं 130 भी सन्निहित है तथा वर्ष 1964 में रेलवे परियोजना के लिए खेसरा सं0–90 की जमीन अर्जित की गयी थी तथा वर्ष 1989 में पुलिस लाईन हेतु खेसरा सं0 30 की भूमि अर्जित की गयी थी तथा दोनों खेसरा के अर्जन के समय जमाबंदी सं0 134 के 170 के जमाबंदी रैयत के भूस्वामी मानते हुए तथा उनका दखल पाकर हितबद्ध रैयत मानते हुए नोटिस निर्गत किया गया है। जिससे सिद्ध होता है कि इनका जमाबंदी वैध एवं पुरानी है। इतना ही नही जगदीश चन्द्र के पोता दिलीप कुमार के नाम से अंचल अधिकारी द्वारा भू–धारण प्रमाण–पत्र भी निर्गत किया गया। विपक्षी ने अंकित किया है कि जमाबंदी सं0 134 एवं 170 जमाबंदी सृजन से लगान रसीद पा रहे है।

विपक्षी ने अपने कथन में निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किये है :–

1. केवाला दिनांक–04.11.1931 की छायाप्रति।
2. दिनांक–23.09.1953 के बंटवारा नामा की छायाप्रति।
3. भूधारण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4. भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत तीन रसीद की छायाप्रति।
5. जमाबंदी सं0 170 एवं 134 के अन्तर्गत निर्गत लगान रसीद वर्ष 1973–74, 75–76, 95–96, 2002–03 एवं 2012–13 की छायाप्रति।

उपरोक्त के आधारों पर विपक्षी ने खारिज का अनुरोध किया है।

प्रस्तुत वाद में अंचल अधिकारी की ओर से विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता ने अपना मंतव्य में उल्लेखित किया है कि विद्वान न्यायालय में जमाबंदी सं0 134 एवं 170 का पूर्ण ब्यौरा की मांग अंचल अधिकारी से की गयी। जिसपर अंचल अधिकारी ने दिनांक–03.12.20 को प्रतिवेदित किया है कि मूल पंजी अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा पुनर्लिखित पंजी के सत्यापित प्रति भेजी है जिसमें जमाबंदी पंजी के गठन का उल्लेख नहीं है और यह भी मंतव्य दिये है कि विपक्षीगण वर्त्तमान में दखलकार है। अतः उन्होंने विभागीय संकल्प 925 दिनांक–11.11.14 के आलोक में वाद का निस्तारण का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के तरफ से प्रस्तुत दलील एवं साक्ष्य जो अभिलेखबद्ध है। प्रश्नगत खाता खेसरा की भूमि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से ही तदेन जमींदार द्वारा बंदोवस्त थी जिससे आक्षेपित जमाबंदी सं0 134 एवं 170 के जमाबंदीदार के

आदेश की क्रम सं० और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

पूर्वज वर्ष 1931 में वजरिये केवाला खरीद किया। पुनः यह भी स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, खगड़िया के द्वारा निर्गत नोटिस पर आक्षेपित जमाबंदीदार ने अपने केवाला एवं बन्दोवस्ती के साक्ष्य प्रस्तुत किये है। पुनः यह भी स्पष्ट है कि यह दोनों जमाबंदियां जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् गठित मौलिक जमाबंदी में शामिल है। तो फिर इस जमाबंदी के संधारण में अनियमितता का क्या बिन्दु है ? अंचल अधिकारी का दावा मात्र इस बिन्दु पर आधारित है कि खिस्टा खतियान के अनुसार उपर्युक्त विवरण की जमीन गैरमजरूआ खास खाते की है। किन्तु राजस्व पदाधिकारी होने के नाते उन्हें यह भी विचारण करना चाहिए कि विपक्षी के पास अधिकार पत्र प्राप्त एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है अथवा नहीं ? अंचल अधिकारी द्वारा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर कोई आक्षेप अथवा आपत्ति भी नहीं अंकित है।

बिहार दाखिल खारिज अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान मात्र नियमों के उल्लंघन अथवा स्थापित विधि के अतिलंघन में गठित जमाबंदियों को खंडित करने के लिए है, जो कि प्रस्तुत वाद में नहीं है। विभागीय परिपत्र 925 दिनांक–11.11.14 में यह प्रावधानित है कि पुरानी जमाबंदियों को खंडित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अंचल अधिकारी का विखंडन प्रस्ताव अस्वीकृत करते हुए निदेशित किया जाता है कि यदि वे अपनी दावेदारी से संतुष्ट हैं तो सिविल न्यायालय में जमाबंदी निरस्तीकरण हेतु स्वत्व वाद दायर करें। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, खगड़िया को अनुपालनार्थ भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञा० सं० 457 / दिनांक 28/8/24 /
प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- NIC खगड़िया वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया
28/8